



अग्रभारत

www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19 अंक: 100

आगरा, रविवार 27 सितम्बर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रू.

दिल्ली में मौसम का मिजाज, गुलाबी ढंड के साथ छाए रहेंगे बादल

नई दिल्ली(ए)। दिल्ली में भले ही मानसून की वापसी हो गई हो, लेकिन अब ठंड के लिए मौसम अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। रात के समय चलने वाली ठंडी तेज हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शनिवार से अगले तीन दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण शहर में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे तापमान में गिरावट के साथ हवाओं की गति बढ़ सकती है और मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा।

शनिवार को राजधानी के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही हल्के बादल और धूप रही। इस दिन अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था और पिछले दिन की तुलना में 2.7 डिग्री की गिरावट दर्शाता है। वहीं, 'न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया



गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक था, लेकिन इसमें भी 1.7 डिग्री की गिरावट आई थी। हालांकि, इस दौरान कोई बारिश दर्ज नहीं की गई। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुबह से ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज

आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर तक अधिकतर इलाकों में एक या दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी

उम्मीद है, जिनकी गति 30-40 किमी/प्रति घंटे तक जा सकती है और झोंकों के साथ ये गति बढ़कर 50 किमी/प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दोपहर से शाम तक कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर हल्की बारिश का एक और दौर आ

सकता है। आज अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आणीी और मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी। इस अवधि में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री के बीच दर्ज किया गया था। शहर के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1 से -5.0 डिग्री सेल्सियस) रहा, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य तापमान दर्ज हुआ। वहीं, शहर के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और कुछ में सामान्य रहा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 20-25 किमी/प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं हैं, जो मौसम के इस बदलाव में सहायक रही हैं।

चुनाव आयोग में नियुक्ति कानून और आंतरिक फैसलों पर उठे सवाल

नई दिल्ली(ए)। चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ गई है। 2023 में बनाए गए नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में ही इस बात पर मतभेद सामने आया कि क्या मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इस बिंदु पर अलग-अलग राय पर पहुंचे।

इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। ये आपत्तियां नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दों से संबंधित थीं। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन दावों को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहा कि आंतरिक टिप्पणियां और अलग-अलग राय निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं, और सभी अंतिम फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 2023 के कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन चैनल की संरचना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मौजूदा व्यवस्था में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। जस्टिस दत्ता ने आपत्ति जताई कि सरकार के कैबिनेट मंत्री से पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। दिसंबर 2023 में संसद ने नया कानून बनाकर इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया। इसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी की आपत्तियों में फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची के डिजिटल डेटा तक पहुंच जैसे विषय शामिल थे, तथा दोनों अधिकारियों ने कुछ मामलों में बदलावों की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए। इस पर आयोग ने प्रतिक्रिया दी कि आंतरिक टिप्पणियों को अलग करके देखने से पूरी निर्णय प्रक्रिया की तस्वीर सामने नहीं आती, और सभी अंतिम निर्णय पूर्ण आयोग की सहमति से ही लिए गए।सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मतभेद के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पहुंचा है, जो तय करेंगे कि क्या इसकी सुनवाई बड़ी संविधान पीठ करेगी। जस्टिस शर्मा ने बड़ी पीठ के विचार का समर्थन किया, जबकि जस्टिस दत्ता ने कहा कि मौजूदा पीठ भी संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में दो मुख्य प्रश्न उभरकर सामने आए हैं। पहला, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका की सीमा क्या होनी चाहिए, और दूसरा, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे संचालित होनी चाहिए। इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी।

मणिपुर और नागालैंड के बड़े हिस्सों को अशांत क्षेत्र घोषित किया

नई दिल्ली(ए)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के दो राज्यों, मणिपुर और नागालैंड के कई क्षेत्रों को आर्मड फोर्सेंज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (एएफएस्पीए) के तहत अगले छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी और अगले छह महीनों के लिए लागू रहेगी, जब तक कि इसे तय समय से पहले वापस नहीं लिया जाता। अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर के पूरे क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया है, सिवाय पांच जिलों के तेरह पुलिस थाना क्षेत्रों के। इन अपवादों में राजधानी इंफाल के साथ-साथ लांफेल, सिटी, शिंगजामई, पेटसई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगंग, इरिलखुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नांबोल और काकचिंग पुलिस थाना क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अफरसा के दायरे से बाहर रखा गया है। नागालैंड के संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने नौ पूर्ण जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इनमें दिमापुर, निज़लैंड, चुमोईदिमा, मोन, किफिरे, नोकलज, फेक, पेरेन और मेलुरी जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पांच अन्य जिलों के इक्कीस पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अफरसा के दायरे में लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यह घोषणा अफरसा की धारा तीन के तहत की गई है। नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। यह घोषणा मार्च 2026 में जारी पूर्व अधिसूचना का विस्तार है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2026 से छह महीनों के लिए इन क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया था। जिन पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है, वे इस प्रकार हैं: कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा नॉर्थ, कोहिमा साउथ, जुब्जा और केजोक्हा पुलिस थाना क्षेत्र।मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथ, तुली, लोंगचेंग और अनाकी 'सी' पुलिस थाना क्षेत्र।

नई दिल्ली (ए)। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने एक महीने के लिए अपने-अपने देशों में जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद वैनडाइक शुक्रवार शाम वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गया। हालांकि इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जांच अभी जारी है, लेकिन अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया कि जांच पूरी करने के लिए इन आरोपियों की तत्काल भारत में भौतिक मौजूदगी जरूरी नहीं है। अदालत के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना होगा और अपना पता, फोन नंबर व ईमेल जैसी संपर्क संबंधी जानकारी देनी होगी। वैनडाइक ने 21 अक्टूबर को भारत लौटने की फ्लाइट बुक की है। लोगों का कहना है कि एनआईए अदालत से अनुरोध तक रखती तो शावद वैनडाइक यूएस जाने से रोक लेती।

जांच एजेंसी के अनुसार, वैनडाइक और छह अन्य लोगों पर करीब तीन महीने तक म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र समूहों (जैसे चिन नेशनल फ्रंट और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी) के सदस्यों को ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन



असेंबली और जैमिंग तकनीक की ट्रेनिंग देने का आरोप है। एजेंसी का दावा है कि इन्हें म्यांमार के विद्रोही समूहों से लॉजिस्टिक मदद और फंड मिला था। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि चूंकि कथित गतिविधियां म्यांमार में हुईं, इसलिए वहां से सबूत हासिल किए बिना आतंकी साजिश को निर्णायक रूप से स्थापित करना और यूएपीए जांच पूरी करने की निश्चित समयसीमा तय करना एक चुनौती है।

इससे पहले, ईमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) द्वारा हर आरोपी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामले का निपटारा कर दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इस कानून के मामलों से डिस्चार्ज कर डिफॉल्ट बेल दे दी थी। तिहाड़ जेल

से रिहाई और एफआरआरओ से एजिट परमिट मिलने के बाद इनकी वापसी की औपचारिकताएं पूरी की गईं। वैनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट और छह यूक्रेनी नागरिकों (हुबां पेद्रे, तारास स्लिवियाक, इवान सुखमानोव्स्की, मारियान स्टेफानकिव, मैक्सिम होंचारुक और विक्टर कामिन्स्की) को दिल्ली व लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन पर बिना वैध दस्तावेजों के मिजोरम के रास्ते म्यांमार में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप था। इस बीच, सातों आरोपियों को भारत से बाहर जाने की अनुमति मिलने पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस रिहाई की परिस्थितियों और कथित अमेरिकी दबाव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल किए हैं।

फॉर्म-6 में किया बदलाव ‘पूरी तरह अवैध’ चुनाव आयोग के पास संशोधन का अधिकार नहीं

नई दिल्ली,(ए)। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े विवाद के बीच शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का तत्काल संज्ञा लेना चाहिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को युवा मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन शिविर आयोजित करने और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। रमेश ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में फॉर्म-6 में संशोधन करने की शक्ति एकतरफा संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि जुलाई, 2026 की शुरुआत में ऑनलाइन फॉर्म

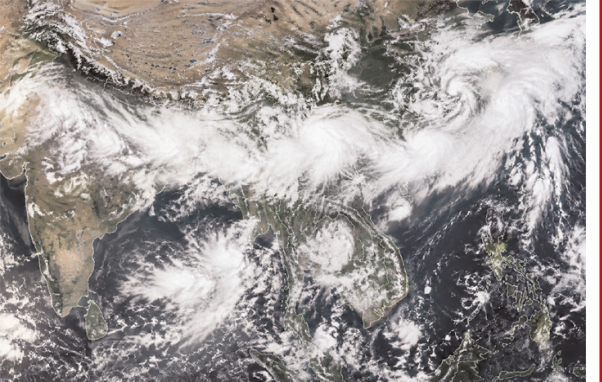


में बिना किसी आधिकारिक अधिसूचना के बदलाव किया गया और उसमें एक नया अनिवार्य खंड जोड़ा गया, जिसमें आवेदकों से यह जानकारी मांगी कि उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछले एसआईआर में शामिल थे या नहीं। रमेश ने कहा कि यह प्रावधान खासकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए बाधा पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-6 में संशोधन करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के बजाय केंद्र सरकार के पास है और ऐसा बदलाव संबंधित नियमों में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने 'पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960' का हवाला देते हुए दावा किया कि फॉर्म में बदलाव के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन और संसद को इसकी सूचना दिया जाना जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव को 'अवैध और अनधिकृत' बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी ताकि युवा और पहली बार मतदाता बनने वाले लोग बिना परेशानी के अपना पंजीकरण करा सकें। रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में संवैधानिक परंपराओं और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जवाबदेही तय करनी चाहिए।

नई दिल्ली (ए)। भारत से चीन तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी बादलों की पट्टी दिखाई देने वाली एक सैटेलाइट तस्वीर ने मौसम की सक्रियता को लेकर ध्यान खींचा है। बादलों का यह व्यापक क्षेत्र उत्तर और मध्य भारत से होते हुए पूर्वोत्तर, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला दिखाई दे रहा है। तस्वीर में कई जगह घने और चमकीले बादल नजर आ रहे हैं, जो सक्रिय मौसम प्रणाली का संकेत देते हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, घने बादलों के ऐसे हिस्सों में कन्वेक्टिव सेल्स विकसित हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म और नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठती है और उससे घने बारिश वाले बादल बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ इलाकों में तेज बारिश, गजज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना बढ़ सकती है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बादलों की सक्रियता अधिक दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम और पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों के अलावा हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। हालांकि, 4000 किलोमीटर लंबी बादल पट्टी का मतलब यह नहीं है कि पूरे क्षेत्र में एक समान बारिश होगी। जहां बादलों



का घनत्व और स्थानीय मौसम प्रणाली अधिक सक्रिय होगी, वहां बारिश की तीव्रता ज्यादा हो सकती है। इस व्यापक बादल पट्टी के पीछे बड़े क्षेत्र में नमी वाली हवाओं का एकत्र होना महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। मानसून से जुड़ी नमी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, निम्न दबाव क्षेत्र और ऊपरी वायुमंडल की हलचलें मिलकर बड़े क्षेत्र में बादल बनने की परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के दौर के बावजूद बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मौसम को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से मानसून की विवाई के बीच भी कुछ राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की

संभावना बनी हुई है। बादलों का यह क्षेत्र भारत तक सीमित नहीं है। सैटेलाइट तस्वीर में इसका विस्तार बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के कुछ हिस्सों तक दिखाई दे रहा है। इससे संकेत मिलता है कि मौसम प्रणाली का प्रभाव व्यापक भूभाग पर है। हालांकि 4000 किलोमीटर की लंबाई सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर लगाया गया अनुमान है। इसकी सटीक सीमा और बारिश की तीव्रता का आकलन करने के लिए मौसम विभाग के विस्तृत आंकड़ों, रडार और अन्य मौसम संबंधी सूचनाओं को देखना जरूरी होगा। इसलिए तस्वीर को व्यापक मौसम सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पूरे क्षेत्र में एक जैसी भारी बारिश की निश्चित भविष्यवाणी के तौर पर।

प्राशंत किशोर को झटका, प्रत्याशी बनने के बाद भूषण झा ने पार्टी से दिया इस्तीफा

पटना,(ए)। बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा के ठीक बाद चुनावी रणनीतिकार प्राशंत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए जाने के महज 24 घंटे के अंदर प्रमुख शिक्षक नेता भूषण झा ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। जन सुराज पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए झा ने अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। यह घटनाक्रम मुजफ्फरपुर में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद सामने आया, जिसमें झा ने अपने और अपने समर्थक शिक्षकों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर आरोप लगाए। झा के हटने के बाद, जन सुराज पार्टी अब शनिवार को तिरहुत शिक्षक सीट के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है। जन सुराज पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए, झा ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी बात रख रहे थे, तो उनका समर्थन करने वाले शिक्षकों को समीक्षा बैठक की रिकॉर्डिंग करने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि उन पर पार्टी द्वारा तय की गई बातों के मुताबिक बोलने का दबाव डाला जा रहा था। झा ने कहा कि उन्हें यह बात आपत्तिजनक लगी और साथी शिक्षकों के सुझावों के बाद, उन्होंने जन सुराज पार्टी छोड़ने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह बैठक 25 सितंबर को मुजफ्फरपुर के माडीपुर स्थित एक होटल में हुई, जिसमें प्राशंत किशोर भी मौजूद थे। बैठक के बाद ही झा ने पार्टी छोड़ने और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बैठक में अपने और अपने समर्थक शिक्षकों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर कई आरोप भी लगाए। बता दें जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में से तीन के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इन सीटों के लिए चुनाव 23 अक्टूबर को होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी।

